कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2507 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 09 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाडी मोटर मार्ग के किमी0 4 से आगे बरसील पोंथ मंजूली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8725 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/28766/2017

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/76/2018/एफ0सी0/1405 दिनांक 30–09–2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के पत्र संख्या 1897/12–1 दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–01)**
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के बाद ही प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि सौंपी जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–02)**
3.	**प्रतिपूरक वनीकरण :–** **क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.745 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम थाती डागर खसरा संख्या 636,6365 एवं 7272 तहसील कीर्तिनगर में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	**(क)** शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.745 है0 सिविल सोयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु ₹ 12,62,754.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी हैं एवं जहाँ तक व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–03क)**
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए, 1980 की guideline के para 2.4(i) के	**(ख)** शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र ग्राम–थाती डागर की सिविल सोयम भूमि, जिसका क्षेत्रफल 3.745 है0 है, को वन विभाग के नाम इन्द्राजी किया जा चुका है।

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्ण आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। **ग)** वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। **घ)** रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–3ख)** **(ग)** शर्त के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है। **(संलग्न–3ग)** **(घ)** शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। **(संलग्न–3घ)**
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–4)**
5.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य :–** **(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.99 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **(ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**(क)** शर्त संख्या के अनुपालन में प्रस्तावक एजेंसी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 1.8725 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत ₹ 12,30,233.00 की धनराशि जमा कर दिया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5क)** **(ख)** शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि यदि कोइ हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5ख)**
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 70 trees including 26 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–6)**
7.	State Govt. Will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guideline para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out out under such permission after the expire of one year from the date of issue of such	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–7)**

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	permission.	
8.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) द्वारा जमा कर दी गयी है। **(संलग्न–8)**
9.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त के अनुपालन हेतु एफ0आर0ए0 2006 का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्न–9)**
10.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों–बीच पौधों की बढाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढायी जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–10)**
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–11)**
12.	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–12)**
13.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–13)**
14.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–14)**
15.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–15)**
16.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–16)**
17.	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–17)**
18.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–18)**
19.	इस अनुमोदन में प्रयावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–19)**
20.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–20)**
21.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–21)**
22.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–22)**

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
23.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–23)**
23.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–24)**
24.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–25)**
23.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–26)**
24.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh. nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जा रही है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम–1980 यथासंशोधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या– 2507 / **12-1** दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड, शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेनद्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर, मु0–कीर्तिनगर।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न0–1800890915(टोल फ्री)

Phone & Fax no. 0135-2431159 E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं0: 1897 /12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 12 / 03 /2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के खजरा बैंज्वाड़ी के किमी0 04 से आगे पौंथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online No FP/UK/ROAD/28766/2017)**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/76/2018/एफ0सी0/1405, दिनांक 30.09.2020 के क्रम में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/76/2018/एफ0सी0/1405, दिनांक 30.09.2020 के द्वारा प्रश्नगत परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, जिसमें अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के द्वारा अपने पत्रांक–2275/12–1, दिनांक 03.03.2025 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त का अवलोकन करने के उपरांत सैद्वांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में, मूल प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगें।

संलग्नक–यथोपरि।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 4199
पत्रावली 12-1
दिनांक 22-3-25

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक
10/03/025

संख्या:– / दिनांकित

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

प्रभारी टिहरी
आ० का० करें।

प्र० व० सं०/नोड
22-3-25

वादि 23 पत्र संलग्नक है।

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न0–18008909715(टोल फ्री)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक संख्या–2275/ 12–1 दिनांक 03/ 03 / 2025

4211
12-1
4/03/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के खजरा बैंज्वाड़ी के किमी0 04 से आगे पौंथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online No FP/UK/ROAD/28766/2017)

सन्दर्भ :– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर का पत्रांक– 27/33 सी0, दिनांक 08.01.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के पत्रांक– 08बी/यू0सी0पी0/06/76/2018/एफ0सी0/1405, दिनांक 30–09–2020 से सैद्वान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन जारी की गई है, जिसकी पूर्ण अनुपालन आख्या याचक विभाग द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसका अवलोकन करने के उपरांत अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है:–

SN.	Conditions	Compliances
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–01)**
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के बाद ही प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि सौंपी जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के बाद ही प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि सौंपी जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–02)**
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.745 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम थाती डागर खसरा संख्या 6364, 6365, 7272, तहसील कीर्तिनगर में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	शर्त संख्या 3(क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.745 हे0 सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु मु0–1262754.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है एवं जहाँ तक व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन

C.F., B.C.
4/3/25

		से बचा जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं पेड स्लिप की प्रति संलग्न है। **(संलग्न–3 (क))**
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(ख) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र ग्राम–थाती डागर की सिविल सोयम भूमि, जिसका क्षेत्रफल 3.745 है0 है, को वन विभाग के नाम इन्द्राराजी किया जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न किया गया है। **(संलग्न–3 (ख))**
	ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	इस शर्त के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है कि उक्त सी. ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। **(संलग्न–3 (ग))**
	घ) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–3 (घ))**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–4)**
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202 / 1995 में IA no. 556 दि० 30.10.2002, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक– 5–1 / 1998–एफ०सी० (pt- 2) दि० 18.09. 2003, 5–2 / 2006–एफ०सी० दि० 3.10. 2006 एवं 5–3 / 2007–एफ0सी0 दि0 05.02. 2009 एवं 5–3 / 2011–एफ0सी0 (Vol-1)	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 1.8725 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत रु० 12,30,233.00 की धनराशि जमा करा दी गयी है। जमा चालान की छाया प्रति सलग्न है। **(संलग्न–5 क)**

	दि0 06.01.2022 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8725 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्त अभिकरण इस एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5 ख)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाली वृक्षों की संख्या प्रस्ताव में उल्लेखित वृक्षों (70 Trees including 26 Sapling) से अधिक नही होगी, का कटान/पातन किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–06)**
7	गाईडलाईन में दिये गये दिशा–निर्देशों के पैरा–11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से 01 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–07)**
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जाएगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) द्वारा जमा करा दी गयी है। **(संलग्न–08)**
9	एफ0आर0ए0. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन हेतु एफ० आर० ए० 2006 का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्न–09)**
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ायी जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की संलग्न है। **(संलग्न–10)**

ह०

11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–11)**
12	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफ0सी0 / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर / ओवर पास प्रदान किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–12)**
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्तृ अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगें।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–13)**
14	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–14)**
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–15)**
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक इधन दिया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–16)**
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–17)**
18	परियोजना कार्य के लिये निष्पादन के लिये निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–18)**
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तित की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–19)**
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–20)**
21	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–21)**
22	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–22)**

	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42 / 2017–एफ०सी० दि० 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–23)**
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–24)**
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–25)**
26	अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–26)**

अतः उपरोक्तानुसार सैद्वांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में, मूल प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि विषयगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति / वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगें।

<u>संलग्न–यथोपरि।</u>

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

संख्याः–   /   दिनांकित

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–1 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–2 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

C:\Users\Pwdki\Downloads\compliance poth_103519.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–3 (क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग के व्यय पर ग्राम थाती डागर की 3.745 हे0 सिविल सोयम भूमि खसरा संख्या 6364,6365 एवं 7272 पर स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का रोपण कर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–3 (ख) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चयनित ग्राम थाती डागर की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.745 है0 है को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित कर दिया गया है तथा इस भूमि की राज्य अभिलेखों में वन विभाग के नाम इन्द्राराजी की जा चुकी है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि–की–रेती

C:\Users\Pwdki\Downloads\compliance poth_103519.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–3 (ग) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कीर्तिनगर रेंज, डांगचौरा
नरेन्द्र नगर वन प्रभाग

रेंज अधिकारी
माणिकनाथ रेंज
कीर्तिनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कीर्तिनगर उप वन प्रभाग
देवप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

C:\Users\Pwdki\Downloads\compliance poth_103519.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–3 (घ) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि–की–रेती

C:\Users\Pwdki\Downloads\compliance poth_103519.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाड़ी के कि0मी0 04 से आगे पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–4 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भन प्राक्कलन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3163/33सी0 दिनांक 28.08.2023 तथा 779/33सी0 दिनांक 10.05.2024 से आप से अनुरोध किया गया है प्राप्त होते ही वन विभाग के पक्ष में धनराशि जमा कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwana_nauli_nagar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–5(क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.8725 हे0 हेतु @657000.00 प्रति हे० की दर से रु० 1230233.00 की धनराशि ऑनलाइन ई चालान संख्या 2519 दिनॉक 09.06.2021 द्वारा कैम्पा फंड़ में वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है (प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं एन0पी0वी0 की राशि को संयुक्त चालान द्वारा जमा कर दिया गया है।)

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

C:\Users\Pwdki\Downloads\compliance poth_103519.doc

मार्ग का नाम –	जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP / UK /ROAD / 28766 / 2017)

शर्त सं0–5(ख) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि एन0पी0बी0 की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर	अधिशासी अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK /ROAD / 28766 / 2017)

शर्त सं0–6 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 70 वृक्षों से अधिक नहीं होगी का कटान/पातन किया जायेगा। तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–7 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गाईड़लाईनस में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा–11.2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति वन विभाग को प्रेषित की जायेगी। साथ ही यह इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

<u>शर्त सं0–8 का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड़ में हस्तान्तरित/ जमा की जाने वाले धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से ही जमा की गई है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–09 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–10 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क को दोनो किनारें एवं बीचों बीच पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–11 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगें।

सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर	अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर	मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–12 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सी०डब्लू०एल०डब्लू०/ एन०बी०डब्लू०एल०/एफ०ए०सी०/आर०ई०सी० की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ ओवर पास प्रदान किया जाएगा ।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

C:\Users\Pwdki\Downloads\compliance poth_103519.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–13 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

सहायक अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर	अधिशासी अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–14 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–15 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–16 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

C:\Users\Pwdki\Downloads\compliance poth_103519.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्त (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–17 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भन प्राक्कलन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–3163 / 33सी0 दिनांक 28.08.2023 तथा 779 / 33सी0 दिनांक 10.05.2024 से आप से अनुरोध किया गया है प्राक्कलन प्राप्त होते ही वन विभाग के पक्ष में प्राक्कलानुसार धनराशि जमा कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–18 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

C:\Users\Pwdki\Downloads\compliance poth_103519.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–19 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–20 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

<u>शर्त सं0–21 का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तिरित नहीं की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–22 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र सं0 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 02 / 2021 / एफ0सी0 / 2160 दिनांक 27.01.2021 द्वारा अधिरोपित शर्तो का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–23 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उसका भी पालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–24 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगी कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा, तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में कटाई नहीं की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधि॰अ॰सी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–25 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदे**श**/अनुदे**श** आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

शर्त सं0–26 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र सं0 8वी0/यू0सी0पी0/06/02/2021/एफ0सी0/2160 दिनांक 27.01.2021 द्वारा अधिरोपित शर्तो की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड़ कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर